श्रीराम रेयंस, कोटा (राजस्थान) को लाइसैंस जारी किया जाना

3448. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वाणिज्य मंत्री** श्रीराम रेयंस कोटा (राजस्थान) को लाइसेंस जारी किये जाने के बारे में 6 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 3565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (ख) और (ग) के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त उद्योग ने इस संबंध में लगाई गई शर्तों में उल्लिखित उत्पादन से बहुत अधिक उत्पादन किया है ;

(घ) यदि हां, तो शर्तों में कितना उत्पादन उल्लिखित है और वास्तविक उत्पादन कितना है , और

(ङ) उत्पादन आरम्भ होने से अब तक प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया और उत्पादन लागत तथा निर्यात मूल्य का अन्तर क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) मैसर्स श्रीराम रेयन्स को लाइसेंस सं० एल०/23/5/एन-17 टैक्स (ड)/61 दिनांक 22-3-1961 तथा सं० एल/23/5/90 टैक्स (एफ) /65 दिनांक 29-4-1965 के मुताबिक 5,000 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ रेयन टायर कोर्ड के उत्पादन की अनुज्ञा दी गई थी। फर्म इस मद का उत्पादन मंजूर शुदा क्षमता से अधिक मात्रा में नहीं करती रही है । वर्ष 1973 तथा जनवरी-सितम्बर, 1974 के दौरान रेयन टायर कोर्ड का उनका उत्पादन क्रमश 3188 मे० टन तथा 2259 मे० टन रहा है । इस तरह इस संबंध में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही किया जाना जरूरी नहीं है ।

(ङ) रेशन तथा रेयन टैक्सटाइल्स निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार इस फर्म द्वारा उत्पादन शुरू किये जाने के समय से अब तक रेयन टायर कोर्ड के निर्यात निम्नलिखित रहे हैं:—

(मूल्य लाख रु० में)

1971-72	38.23
1972-73	12 06
1973-74	14.17
1974-75	17 38

फर्म की इस मद की उत्पादन लागत प्राप्त नहीं है ।

मैसर्स डी० सी० एम० कैमिकल्स और श्रीराम रेयन्स के शेयरधारियों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि

3449. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कैमिकल्स लिमिटेड इंडस्ट्रीज तथा श्रीराम रेयन्स मिल्स, कोटा, राजस्थान के शेयरधारियों की ओर वर्ष 1972-73 और 1973-74 में आयकर की भारी राशि बकाया थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन शेयरधारियों के नाम क्या है, उनमें से प्रत्येक की ओर आयकर

की कितनी राशि बकाया है और वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुकर्जी) : (क) और (ख) मैसर्स दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स कैमिकल लि० इंडस्ट्रीज और श्रीराम रेयंस मिल्स, कोटा के नाम की कोई कम्पनियां नहीं है। "डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स" तथा "श्री राम रेयन्स' दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स कं० लि० दिल्ली के अनुषंगी एकक है। चूंकि ये दो एकक कोई अलग निगमित निकाय नही है इसलिये इनमे मे कोई शेयर होल्डर नही है।

कोहिनूर मिल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई द्वारा वित्तीय संस्थानों और बैंकों से लिया गया ऋण

4450 **हुकम चंद कछवाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोहिनूर मिल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने किस किस वित्त निगम, संस्थानों एवं बैंको मे किस किस शर्त पर कितना-कितना ऋण गत तीन वर्षों मे लिया, और

(ख) : इस ऋण का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) . बैंकरो मे प्रचलित व्यवहार और प्रथा के अनुसार तथा बैंकिग कम्पनी (प्रतिष्ठानों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधो के अनुपालन मे भी, किसी घटक (कास्टीट्यूएट) सबधी सूचना प्रकट नही की जाती। इसलिये सर्वश्री कोहिनूर मिल्स क० कम्पनी लिमिटेड को बैंको मे मिले ऋणो का विवरण देना संभव नही है।

पांचो अखिल भारतीय दीर्घकालीन वित्तीय सस्थानों अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय यूनिट बैंक भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम में से किसी ने इस कम्पनी को पिछले तीन वर्षों मे कोई ऋण सहायता मंजूर नही की है। अलबत्ता इस कम्पनी ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की हुडी पुनर्भुगतान योजना का, देशी मशीनों के खरीदार उपयोगकर्ता के रूप मे लाभ उठाया है, जिस का विवरण निम्नलिखित है –

विवरण

वर्ष (जुलाई-जून)	भुगतान की गई हुडियों का अंकित मूल्य	28 फरवरी 1975 को बकाया राशि	अंतिम किश्त की देय तारीख
1	2	3	4
1971–72	9 97	2.64	22–5–1976
1972–73	—	—	—
1973–74	12 03	9.15	22–12–1978
1–7–1974 से 28–2–1975 तक	46 16	46.16	31–12–1979
जोड	68.16	57.95	